भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: *254

11 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

खनन क्षेत्रों के निवासियों का पर्यावरणीय स्वास्थ्य इतिहास

254 # श्रीमती महुआ माजीः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या खनन क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य परीक्षणों में धूल, दूषित जल तथा औद्योगिक प्रदूषण से दीर्घकालिक संपर्क का पृथक स्वास्थ्य संबंधी इतिहास दर्ज करने हेतु कोई राष्ट्रीय प्रणाली विद्यमान है;

(ख) क्या ऐसे क्षेत्रों के लिए एक डिजिटल 'पर्यावरणीय जोखिम स्वास्थ्य अभिलेख' विकसित करने तथा उसे प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) क्या झारखंड के खनन प्रभावित जिलों में बच्चों, महिलाओं और खदानों के आसपास रहने वाले समुदायों के लिए इसका प्रायोगिक कार्यान्वयन आरंभ किया जाएगा?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 11 अगस्त, 2026 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *254 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): स्वास्थ्य राज्य का विषय है और जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है।

तथापि, खनन क्षेत्रों सहित पंजीकृत प्रतिष्ठानों में कार्यरत व्यक्तियों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों को विनियमित करने के लिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थितियां (ओएसएच एंड डब्ल्यूसी) संहिता, 2020 अधिनियमित की है, जो दिनांक 21.11.2025 से लागू हुई। ओएसएच एंड डब्ल्यूसी संहिता, 2020 की अनुसूची III में खनन क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के बीच कोयला खनिकों में न्यूमोकोनियोसिस और सिलिकोसिस जैसे व्यावसाय जनित फेफड़ों के रोगों सहित सभी अधिसूचित रोगों को विनिर्दिष्ट किया गया है और नियोक्ताओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे ऐसे रोगों के फैलने को अधिसूचित करें तथा रोजगार से पहले खान श्रमिकों का प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षण करें और उसके बाद वार्षिक चिकित्सा परीक्षण प्रदान करे। ओएसएच एंड डब्ल्यूसी संहिता, 2020 में यह भी प्रावधान है कि श्रमिकों को व्यावसाय जनित रोगों से बचाने के लिए कार्यस्थलों पर सुरक्षित और स्वस्थ कार्य स्थितियों को बनाए रखने की जिम्मेदारी नियोक्ताओं की है।

इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा एकीकृत, नागरिक केंद्रित राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली के विकास में सहयोग देने के लिए सितंबर 2021 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) शुरू किया गया था। एबीडीएम स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के परस्पर सुगम और सुरक्षित आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है, जिससे परिचर्या की निरंतरता और बेहतर जानकारी के आधार पर नैदानिक निर्णय लेने में मदद मिलती है। एबीडीएम व्यक्तियों के दीर्घकालिक इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकार्ड के रखरखाव को सुगम बनाता है, जो नागरिकों द्वारा स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को उपलब्ध और साझा किए गए दीर्घकालिक चिकित्सा अभिलेखों के आधार पर स्वास्थ्य स्थितियों का आकलन और निगरानी करने में सहायक हो सकता है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय निरंतर परिचर्या का समर्थन करता है, जिसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर व्यापक प्राथमिक परिचर्या प्रदान करते हैं और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से मध्यम और विशिष्ट स्तर की अस्पताल भर्ती के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है।
